पर आपत्ति किये जाने पर, उस सचिव या उन सचिवों का चुनाव करवाया जाएगा और साधारण बहुमत के आधार पर ही सचिव/सचिवों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा, सचिवों के चुनाव में मत/वोट डालने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यसमिति के 12 पदाधिकारियों को ही होगा और बराबर मत/वोट पडने पर चुनाव समिति प्रभारी अपने मत का प्रयोग करके निर्वाचित सचिवों के नाम की घोषणा करेगा। निर्वाचित सचिवों को पार्टी के 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' और 'चुनाव समिति प्रभारी' द्वारा नाम की मोहर लगी और हस्ताक्षर किया हुआ, प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। उप-चुनाव में निर्वाचित सचिवों को छोड़ उपरोक्त पांचों समितियों के सचिवों के पद की समयावधि केवल 3 वर्ष की होगी।

धारा -15 पदाधिकारियों की नियुक्ति

(क) राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यसमिति के अन्य 12 पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यसमिति के 48 सचिवों के निर्वाचित पदों को छोड़ कर पार्टी के समस्त पद नियुक्ति के आधार पर सौंपे जाएगें। पदों का कार्यभार/नियुक्ति पार्टी की सर्वोच्च इकाई द्वारा या नियुक्त की जाने वाली इकाई से वरिष्ठ इकाई द्वारा नियुक्ति के आधार पर सौंपे जायगें।

(ख) नियुक्त पदाधिकारियों की समयावधि :
नियुक्त पदों का कार्यकाल/समयावधि तीन वर्ष की होगी। तीन वर्ष बाद बिना पूर्व सूचना दिये सर्वोच्च इकाई या वरिष्ठ इकाई पार्टी कार्यकर्त्ताओं में से किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति या उसी पदाधिकारी को उस पद पर नई नियुक्त दे सकती है।

धारा -16 : पूर्ण-अधिवेशन

(1) निम्नलिखित व्यक्ति पूर्ण-अधिवेशन में भाग लेने के अधिकारी होंगे :

(क) पार्टी के वर्तमान 'राष्ट्रीय कार्यसमिति' के पदाधिकारी,
(ख) वर्तमान 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी' के पदाधिकारी,
(ग) 'पार्टी संस्थापक सदस्य समिति' के सदस्य,
(घ) पार्टी के सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक कार्यसमिति के पदाधिकारी,

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी

(ड.) सभी प्रदेशों के वर्तमान 'प्रदेश प्रभारी' व वर्तमान 'प्रदेश अध्यक्ष'।

(च) लोकसभा, राज्यसभा में पार्टी के वर्तमान नेता,

(छ) सभी प्रदेशों की विधान-सभाओं/परिषदों में पार्टी के वर्तमान नेता।

(ज) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अधिक-से-अधिक 40 नामांकित सदस्य, तथा

(झ) पार्टी के मोर्चों व प्रकोष्ठों के वर्तमान 'राष्ट्रीय प्रभारी' व वर्तमान 'राष्ट्रीय अध्यक्ष'।

(त्र) सक्रिय सदस्य।

(2) पार्टी का पूर्ण-अधिवेशन साधारणतया एक सत्र में एक बार होगा। अधिवेशन के समय और स्थान का निर्धारण राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा किया जायेगा।

(3) अधिवेशन की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। विपरीत परिस्थिति या किसी विशेष कारण होने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधान महासचिव या वरिष्ठ उपाध्यक्ष की सलाह पर अधिवेशन की अध्यक्षता का निर्णय होगा।

धारा -17 : विशेष अधिवेशन

(1) पार्टी का विशेष अधिवेशन तब होगा, जब राष्ट्रीय कार्यसमिति ऐसा निश्चय करे। अथवा राष्ट्रीय कार्यसमिति, राष्ट्रीय कार्यकारणी व संस्थापक सदस्य समिति के लोग (जिनकी कम-से-कम 100 सदस्यों की हो) विनिर्दिष्ट विषय पर चर्चा करने का अनुरोध करते हुए, राष्ट्रीय कार्यसमिति से आवेदन करें।

(2) राष्ट्रीय कार्यसमिति के सभी पदाधिकारी विशेष अधिवेशन के प्रतिनिधि होंगे। व विशेष अधिवेशन में भाग लेने के अधिकारी धारा-16 (1) के (क), (ख), (ग), (घ), (ड.), (च), (छ), (ज) और (झ) में दर्ज लोग/पदाधिकारी होगें।

धारा -18 : विलय/विघटन्

(1) कोई अन्य दल 'आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी' में विलय हो सकता है, इसके लिए पार्टी की कार्यसमिति अनुमति प्रदान कर सकती है

अनिल कुमार
अध्यक्ष
आज़ाद मज़दूर किसान पार्टी